

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 09/09/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 09/09/2025 को सुबह 10:30 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23.09.2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामित)
2. श्री ए के भूषण, उप महानिदेशक, अपर कार्यालय विदेश व्यापार महानिदेशालय, सीएलए, नई दिल्ली।
3. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
4. श्री सुनील कुमार, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नौएडा।
5. श्री मयंक जैन, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नौएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि)।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिका, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) प्रमोद कुमार, स्टेनो-1 और (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 25/08/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 25/08/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 25/08/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) रॉयल एक्सपोर्ट्स - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालनों को शामिल करना।

2.1 फर्म के भागीदार श्री आर सी सोनी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री सोनी ने बताया कि उन्हें संयुक्त अरब अमीरात से चांदी के आभूषणों के ऑर्डर मिले हैं।

1


2.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि 145.30 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्ति के लिए लंबित दिखाई गई है। श्री सोनी ने बताया कि खरीदार किसी अन्य कंपनी के माध्यम से धन प्रेषण का भुगतान कर रहा है। हालाँकि, बैंक ने इसे किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से धन प्रेषण होने से अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क किया और भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्हें अपने प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। श्री सोनी ने आगे बताया कि इस मुद्दे का जल्द ही समाधान कर लिया जाएगा।

2.3 यह सूचित किया गया कि इकाई को प्रस्तावित अतिरिक्त वस्तुओं के संबंध में वार्षिक उत्पादन क्षमता और मूल्यवर्धन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें '(i) सादे चांदी के आभूषण (71131141) और (ii) रंगीन पत्थरों से जड़े चांदी के आभूषण (71131145) के निर्माण' को स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत कार्यों के रूप में शामिल किया गया। यह अनुमोदन फाइल/कार्यसूची नोट में दिए गए दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

2.5 अनुमोदन समिति ने इकाई को वर्तमान लंबित विदेशी मुद्रा का CA प्रमाणित विवरण प्रस्तुत करने के साथ-साथ लंबित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक/एडी बैंक के साथ पत्राचार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। और अक्टूबर 2025 में इकाई के प्रदर्शन की निगरानी करने का निर्णय लिया।

(3) ग्लाइड कम प्राइवेट लिमिटेड - कंपनी के निदेशकों और शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन।

3.1 निदेशक श्री अजीतपाल सिंह मल्होत्रा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि पूर्व निदेशकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और तदनुसार नए निदेशक शेयरधारिता स्वरूप में भी बदलाव के साथ कंपनी में शामिल हो गए हैं।

3.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के निदेशकों और शेयरधारिता स्वरूप में बदलावों पर ध्यान दिया।

3.3 अनुमोदन समिति ने ईएम प्रभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को नोएडा एसईजेड प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार, शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन के संबंध में, यदि कोई हो, हस्तांतरण शुल्क लगाने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

(4) पीसी यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण और कार्यनिष्पादन की निगरानी।

4.1 निदेशक श्रीमती रश्मि आनंद अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुईं और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि वे अगली तिमाही में निर्यात उत्पादन फिर से शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं।

4.2 अनुमोदन समिति ने इकाई के कार्यनिष्पादन की निगरानी की और पाया कि इकाई ने 2020-21 से 2024-25 के दौरान 6924.09 लाख रुपये का सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) अर्जित किया है। अनुमोदन समिति ने आगे बताया कि 31/03/2025 तक 5230.70 लाख रुपये मूल्य की निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित थी। श्रीमती आनंद ने बताया कि उन्होंने लंबित निर्यात आय की प्राप्ति के लिए समय विस्तार का अनुरोध प्रस्तुत किया है।

4.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र (LOA) को छह महीने के लिए यानी 29/03/2026 तक विशेष रूप से "(i) सादे सोने के आभूषण - हस्तनिर्मित और मशीनीकृत (71131911) (5500 किलोग्राम/वर्ष) और (ii) सोने की वस्तुएं, सोने के घटक (71131960) (100 किलोग्राम/वर्ष)" के निर्माण के लिए नवीनीकृत करने का निर्णय लिया।

(5) नैट्रॉन इक्विपमेंट एंड स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड - स्वदेशी इनपुट सेवाओं के प्रक्षेपण को शामिल करना और स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालनों को शामिल करने के लिए दी गई स्वीकृति का अनुसमर्थन।

5.1 इकाई के प्रबंध निदेशक श्री कृपा राम शर्मा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि अपनी परियोजना और फॉर्म एफ जमा करते समय, चूक के कारण उन्होंने अपने अधिकृत संचालनों के लिए स्वदेशी सेवाओं की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया था।

5.2 अनुमोदन समिति को यह भी सूचित किया गया कि इकाई ने अतिरिक्त व्यापारिक वस्तु, अर्थात् "भाग नियंत्रण मॉड्यूल यूएफ टच संस्करण" (84819090) को तत्काल आधार पर स्वीकृति पत्र (LOA) में शामिल करने का अनुरोध किया था। इकाई ने बताया कि उन्होंने उक्त वस्तु का आयात पहले ही कर लिया है। इसलिए, इकाई द्वारा दर्शाई गई तात्कालिकता और प्रस्तुत प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए, उक्त वस्तु को फाइल में शामिल करने को मंजूरी दे दी गई, ताकि इकाई के कामकाज में कोई बाधा न आए और दिनांक 22.05.2025 के पत्र के माध्यम से इकाई को सूचित कर दिया गया। यह अनुमोदन अनुमोदन समिति द्वारा अनुसमर्थन के अधीन था।

5.3 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने इनपुट सेवाओं के अनुमानित मूल्य का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।

5.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अधिकृत परिचालनों में "भाग नियंत्रण मॉड्यूल यूएफ टच संस्करण (84819090) के व्यापार" को शामिल करने के लिए दिनांक 22.05.2025 को दी गई अनुमति की पुष्टि की। अनुमोदन समिति ने 525 लाख रुपये मूल्य की स्वदेशी इनपुट सेवाओं को शामिल करने के इकाई के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। स्वदेशी इनपुट सेवाओं का अनुमोदन प्रस्तावित इनपुट सेवाओं के अनुमानित मूल्य का विवरण प्रस्तुत करने के अधीन है।

(6) कोरप लाइटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - कार्यनिष्पादन की निगरानी।

6.1 अनुमोदन समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार इकाई के कार्यनिष्पादन की निगरानी की और पाया कि इकाई ने 31.03.2024 तक चौथे ब्लॉक के दौरान सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय अर्जित की है। अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि 31.03.2024 तक कोई विदेशी मुद्रा प्राप्ति लंबित नहीं थी।

(7) आर्यन फूड इंड्रीडिस्ट्रिब्यूटर्स लिमिटेड - कार्यनिष्पादन की निगरानी।

7.1 अनुमोदन समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार इकाई के कार्यनिष्पादन की निगरानी की और 31.03.2024 को समाप्त होने वाली पहली ब्लॉक अवधि के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय प्राप्त करने का उल्लेख किया। अनुमोदन समिति ने यह भी ध्यान दिया कि 31.03.2024 तक कोई विदेशी मुद्रा प्राप्ति लंबित नहीं है। अनुमोदन समिति ने इकाई को इस कार्यालय द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार संशोधित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

अनुपूरक कार्यसूची पर निर्णय

(8) बालाजी एक्सपोर्ट कंपनी - एसईजेड योजना से बाहर निकलना और प्लॉट संख्या 104, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) स्थित भवन सहित अपनी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का मेसर्स दिव्या एक्सपोर्ट्स को हस्तांतरण।

8.1 मेसर्स बालाजी एक्सपोर्ट कंपनी (हस्तांतरणकर्ता) की ओर से कोई भी व्यक्ति बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। मेसर्स दिव्या एक्सपोर्ट्स (हस्तांतरिती) के स्वामी श्री मुकेश शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

8.2 यह सूचित किया गया कि हस्तांतरणकर्ता अर्थात् मेसर्स बालाजी एक्सपोर्ट कंपनी ने भी निकास संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपने स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है। यह भी सूचित किया गया कि मेसर्स बालाजी एक्सपोर्ट कंपनी के आवेदन पर फर्म के अधिकृत भागीदार द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

8.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74ए के अनुसार, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के प्लॉट संख्या 104 स्थित भवन सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों के निकास और हस्तांतरण के लिए मेसर्स दिव्या एक्सपोर्ट्स को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया। यह (i) हस्तांतरणकर्ता द्वारा निकास संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने, (ii) लागू हस्तांतरण शुल्कों के भुगतान और (iii) हस्तांतरणकर्ता की परिसंपत्तियों और देनदारियों को अपने अधीन लेने के संबंध में हस्तांतरिती द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत करने के अधीन है। अनुमोदन समिति ने मेसर्स बालाजी एक्सपोर्ट कंपनी के स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता को एक वर्ष अर्थात् 08.09.2026 तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया, ताकि निकास संबंधी औपचारिकताएँ पूरी की जा सकें, बशर्ते कि आयात या घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) (डीटीए) खरीद के लिए कोई नई अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.4 अनुमोदन समिति ने आगे निर्णय लिया कि उपरोक्त अनुमोदन मेसर्स बालाजी एक्सपोर्ट कंपनी द्वारा कार्यसूची नोट में की गई टिप्पणियों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज पूर्व में प्रस्तुत करने के अधीन हैं।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।



(किरण मोहन मोहादिकर)

उप विकास आयुक्त



(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त